एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

जन समर्थ पोर्टल: कृषि क्षेत्र के लिए एक कल्याणकारी कदम

(*संस्करण स्वामी एवं विजेंद्र कुमार)
[1]कृषि विस्तार एवं संचार विभाग, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान
[2]कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विभाग, महाराणा प्रताप औद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर
*संवादी लेखक का ईमेल पता: sanskaranswami@gmail.com

जन समर्थ एक ऐसा डिजिटल पोर्टल है जिसपर एक ही प्लेटफॉर्म पर 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं लिंक्ड रखी गई हैं. इन योजनाओं के आवेदक या लाभार्थी आसान स्टेप्स में अपनी एलिजिबिलिटी की जांच कर सकते हैं. जिन योजनाओं को इस पोर्टल से लिंक्ड कर दिया गया है उनपर आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल मंजूरी भी हासिल कर सकते हैं.

क्या–क्या सुविधाएं होंगी जन समर्थ पोर्टल पर

लोन लेने के लिए आवेदन देने से लेकर उसकी मंजूरी तक, पोर्टल में आवेदन की स्थिति और लोन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची–ये भी देखा जा सकेगा. इसके अलावा एप्लीकेंट लोन नहीं मिलने या अन्य किसी असुविधा के लिए ऑनलाइन शिकायत भी कर सकेंगे.

क्या हैं जन समर्थ पोर्टल की खासियतें

- जन समर्थ पोर्टल पर बैंक और लोन देने वाली कई एनबीएफसी या अन्य संस्थाएं उपलब्ध होंगी जो इस पोर्टल पर आने वाली लोन एप्लीकेशंस पर अपनी मंजूरी दे सकती हैं.
- इस पोर्टल से बैंकों समेत 125 से ज्यादा फाइनेंशियल संस्थान जुड़ चुके हैं.
- इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत फिलहाल चार कैटेगरी के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- चार कैटेगरी के लोन में शिक्षा, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, कारोबार की शुरुआत और जीवनयापन लोन शामिल हैं.

कैसे करेंगे जन समर्थ पोर्टल पर अप्लाई?

मौजूदा समय में 4 लोन कैटेगरी हैं और हरेक लोन कैटेगरी के तहत कई सरकारी योजनाएं इसमें लिंक्ड हैं. आपको जिस लोन कैटेगरी के लिए लोन लेना है उसमें जाकर पहले कुछ आसान से सवालों के जवाब देने होंगे. जवाबों के जरिए आप किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के लिए अपनी पात्रता या एलिजिबिलिटी जांच सकेंगे. अगर आप एलिजिबिल हैं तो ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे और इसके बाद आपको डिजिटल अप्रूवल भी इसी पोर्टल पर आसानी से मिल सकेगा जिसके जरिए आप लोन ले सकेंगे.

जन समर्थ पोर्टल की लोन केटेगरी

जन समर्थ पोर्टल पर निम्नलिखित श्रेणीयों मे लोन दिया जाता है

1. आजीविका ऋण – ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम)

परिचय –

1. दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को खत्म करना है।
2. मिशन का लक्ष्य लगभग 8–10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना है और इन स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सेवाओं और आजीविका सेवाओं का लाभ उठापाने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकें, अपनी आय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकें।

योग्य आवेदक–

1. एसएचजी के खाता बहियों के अनुसार एसएचजी कम से कम पिछले 6 महीनों से सक्रिय रूप से मौजूद हो ना चाहिए, न कि बचत बैंक (एसध्बी) खाता खोलने की तारीख से।
2. एसएचजी को श्पंचसूत्रश यानी नियमित बैठकेंय नियमित बचतय नियमित अंतर–ऋण वितरणय समय पर चुकौती करनी चाहिएय और खाता बहियों को अद्यतन रखना चाहिए।
3. नाबार्ड द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मापदंडो के अनुसार अर्हता प्राप्त। जब कभी स्वयं सहायता समूहों के संघ अस्तित्व में आते हैं, तो संघों द्वारा बैंकों की सहायता के लिए ग्रेडिंग कार्य किया जा सकता है।
4. मौजूदा निष्क्रिय एसएचजी भी ऋण के लिए पात्र हैं, यदि उन्हें पुनर्जीवित किया जाता है और न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए सक्रिय रहते हैं।

अतिरिक्त जानकारी –

1. एसएचजी को उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने और एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाने के लिए सहायता के रूप में परिक्रामी निधि (रिवॉल्विंग फंड) और सामुदायिक निवेश निधि का प्रावधान।
2. चिन्हित 250 पिछड़े जिलों में सभी महिला एसएचजी 7: प्रति वर्ष की सहायता दर पर ₹3 लाख तक के बैंक ऋण के लिए पात्र होंगी । एसजीएसवाई के तहत अपने मौजूदा बकाया ऋण में पूंजी गत सब्सिडी प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे।
3. इन जिलों में तत्परता पूर्वक पुनर्भुगता न करते रहने वाले महिला एसएचजी भी 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता के लिए पात्र होंगे, जिससे ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4: रह जाएगी ।
4. शेष जिलों में, डीएवाई–एनआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को नियमित उधार दर पर ऋण प्राप्त होगा । तत्परर्ता पूर्वक पुनर्भुगता न करते रहने वाले एसएचजी को उधार दर और 7 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच अंतर की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी । यह सहायता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाएगी ।
5. भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा अधिसूचित डीएवाई–एनआरएलएम पर मास्टर परिपत्र (सर्कुलर) में उल्लिखित निर्धारित मात्रा के अनुसार बैंक स्वयं सहायता समूहों को ऋण देंगे

2. वयवसाय ऋण

1. स्टैंड–अप इंडिया

परिचय –

1. ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना । ग्रीन फील्ड, इस संदर्भ में, लाभार्थी के पहली बार उद्यम का प्रतीक है।
2. 10 लाख से 1 करोड़ के बीच समग्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण सहित)
3. ऋण की अवधि 7 वर्ष है जिसमें अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि शामिल है।

पात्रता मापदंड–

1. अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी
2. उद्यमवि निर्माण, सेवाओं, कृषि –संबद्ध गतिविधियों या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकते हैं।
3. एक भागीदारी फर्म में शेयरधारिता और नियंत्रक हिस्सेदारी का कम से कम 51प्रतिशत या तो एक अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए।
4. गैर–व्यक्ति गत उद्यमों के मामले में कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता और नियंत्रक हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

अतिरिक्त जानकारी –

1. स्टैंड–अप इंडिया योजना आवेदकों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है।

2. योजना, जिसे क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टैंड अप इंडिया (सीजीएससआई) के रूप में जाना जाता है, को अप्रैल 2016 में अधिसूचित किया गया है और इसे योजना दिशा निर्देशों में उल्लिखित राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।
3. इस योजना में 15: मार्जिन राशि की परिकल्पना की गई है जो पात्र केंद्रध्राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण में प्रदान की जा सकती है। तथापि , उधारकर्ता को परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में लाना होगा ।
4. इसके अतिरिक्त जानकारी ध्अन्य प्रश्नों के मामले में, कृपया देखें। Standupmitra

2. मैनुअल सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)

परिचय –

हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) का उद्देश्य मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास अभिचिह्नित करना है।

पात्र आवेदक –

1. राज्य सरकारों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान मैनुअल स्कैवेंजर्स और आवंटित एमएस–आईडीध्रसीद संख्या और उनके आश्रितों।
2. स्वच्छता कार्यकर्ता और उनके आश्रित केवल स्वच्छता संबंधी स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए सहायता के पात्र हैं। स्वच्छता कार्यकर्ता को एक निर्दिष्ट प्राधिकारी से एक व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

लाभ –

1. प्रति परिवार एक पहचान किए गए हाथ से मैला ढोने वाले को 40000/– रुपये की एकमुश्त नकद सहायता ।
2. हाथ से मैला उठाने वालेध्आश्रित जो इस तरह के प्रशिक्षण का विकल्प चुनते हैं, उन्हें 3000/– रुपये प्रति माह के वजीफे के साथ दो साल तक का कौशल विकास प्रशिक्षण।
3. स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए क्रेडिट लिंक्ड अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी –

परियोजना लागत की सीमा (रु.)	सब्सिडी की दर
व्यक्तियों के लिए	
5,00,000 रुपए तक	50 प्रतिशत परियोजना लागत का
रु 5,00,000 से रु 15,00,000	2.5 लाख रुपए. 25 प्रतिशत शेष परियोजना लागत
समूह परियोजनाओं के लिए	
प्रति लाभार्थी रु 10,00,000/– तक। अधिकतम परियोजना	लागत रु 50,00,000ध्– तक प्रति लाभार्थी अधिकतम रु 3.75 लाख के अधीन जैसा व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य है।

परियोजनाओं की रेंज	सब्सिडी की दर
अप करने के लिए परियोजनाओं के लिए रु 1,00,000/–	5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (4 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिए प्रतिवर्ष)
उपरोक्त परियोजनाओं के लिए 1,00,000/–	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष

अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि, 6 महीने तक की अधिस्थगन अवधि सहित, रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 5 वर्ष है। 15.00 लाख तक की परियोजनाओं के लिए 5.00 लाख और सात वर्ष तक।

3. प्रधानमंत्री स्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि) योजना

परिचय –

1. पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा है, जिसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
2. एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
3. समय पर शीघ्र चुकाने पर 7: पर ब्याज सब्सिडी

4. निर्धारित संख्या में डिजिटल लेनदेन करने पर 100 रुपये तक के डिजिटल लेनदेन पर मासिक कैश–बैक प्रोत्साहन।
5. प्रथम ऋण को समय पर चुकाने पर, दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की उच्च ऋण पात्रता

पात्र आवेदक–

1. शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी किए गए वेंडिंग सर्टिफिकेटध्पहचान पत्र धारक स्ट्रीट वेंडर्स।
2. शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किए गए सर्वेक्षण में अभिचिह्नित विक्रेता , जिन्हें वेंडिंगध्पहचान पत्र का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।
3. स्ट्रीट वेंडर जो यूएलबी के नेतृत्व वाली पहचान से बाहर रह गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू की है और उन्हें यूएलबी /टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा इसका सिफारिश पत्र (एलओआर) जारी किया गया हो ।
4. यूएलबी द्वारा किए गए अभिचिह्नित करने की प्रक्रिया में रह गए स्ट्रीट वेंडर अथवा जिन्हों ने सर्वे के पश्चात् वेंडिंग का कार्य आरंभ किया है और जिन्हें यूएलबी ६ टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीएस) द्वारा इस संबंध में अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी –

1. वाणिज्यिक और अन्य बैंकों , एमएफआई, एनबीएफसी और एसएचजी बैंकों सहित ऋण देने वाली संस्थाओं का व्यापक आधार।
2. सीजीटी एमएसई के माध्यम से ऋणदात्री देने वाली संस्थाओं के लिए ग्रेडेड क्रेडिट गारंटी

4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

परिचय –

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार (जीओआई) द्वारा गैर–कॉर्पोरेट, गैर–कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक के मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित एक योजना है। मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं जैसा कि नीचे बताया गया है

शिशु	50,000– रुपये तक का ऋण।
किशोर	**50,001 रु. से 5 लाख रुपये तक का ऋण।**
तरुण	**5,00,001– रु. से 10 लाख रुपये तक का ऋण।**

2. मुद्रा ऋण आय अर्जित करने वाले लघु और सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किया जाता है

व्यापार उत्पादन सेवा क्षेत्र

3. वाणिज्यिक बैंकों , एमएफआई, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा विस्तारित।
4. छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को उनके व्यवसायों के विकास और विस्तार में सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

योग्य आवेदक–

1. पात्र उधारकर्ताओं के प्रकार–
   - व्यक्तियों
   - स्वत्वधारी व्यक्तियों
   - साझेदार फर्म
   - प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
   - सार्वजनिक कंपनी
   - किसी अन्य सांविधिक की संस्थाएं

2. आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और उसका क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए।
3. व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रस्तावित गतिविधि को करने के लिए आवश्यक कौशलध्अनुभवध्ज्ञान रखने की आवश्यकता हो सकती है।
4. शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता, यदि कोई हो, का मूल्यांकन प्रस्तावित गतिविधि की प्रकृति और इसकी आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

1. सावधि ऋण
2. ओवरड्राफ्ट सीमा
3. कार्यशील पूंजी ऋण
4. पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने के लिए समग्र ऋण

अतिरिक्त जानकारी –

1. मार्जिनध्प्रमोटर का योगदान ऋणदाता के नीतिगत प्रारूप के अनुसार है, जो इस संबंध में आरबीआई के समग्र दिशा निर्देशों पर आधारित है। बैंक शिशु ऋण के लिए मार्जिन के लिए दवाब नहीं बना सकते हैं।
2. ब्याज दरें बैंक के नीतिगत निर्णय के अनुसार वसूल की जानी हैं। हालांकि, उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर उचित होगी ।
3. ब्याज दरों को ऋणदाता की नीति के अनुसार वसूला जाना चाहिए। हालांकि, अंतिम उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दरें उचित होनी चाहिए।
4. उधारकर्ता को दिए गए ऋण से सृजित सभी परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार और वे परिसंपत्तियां जो सीधे उस व्यवसायध्परियोजना से जुड़ी हैं जिसके लिए ऋण दिया गया है।

5. बुनकर मुद्रा योजना

परिचय –

1. बुनकर मुद्रा योजना बुनकर के क्रेडिट कार्ड या सावधि ऋण के माध्यम से बुनाई गतिविधि में शामिल हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
2. वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी, औजारों और उपकरणों की खरीद के साथ–साथ चिन्हित हथकरघा बुनकरों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की जाती है।

योग्य आवेदक–

1. बुनाई गतिविधि में शामिल हथकरघा बुनकर
2. बुनकर उद्यमी
3. स्वयं सहायता समूह, पअ. संयुक्त देयता समूह
4. प्राथमि क हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां
5. शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां
6. एसआईटीपी या कपड़ा मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत क्लस्टरध्मेगा क्लस्टरध्हथकरघा पार्क के तहत पदोन्नत किए गए हथकरघा बुनकरों द्वारा प्रचारित उत्पादक कंपनियां/संघ।

अतिरिक्त जानकारी –

1. प्रिंसिपलरू बैंक ऋण और मार्जिन से बनाई गई संपत्तियों जैसे कच्चे माल, तैयार माल, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी इत्यादि का दृष्टि बंधक।
2. संपार्श्विक ऋण को सीजीटीएमएसई/सीजीएफएमयू की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए।
3. परियोजना लागत का 20 प्रतिशत – कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार को परियोजना लागत के 20 प्रतिशत की दर से मार्जिन वहन करना होगा और अधिकतम रु. 10,000 शेष मार्जिन राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा ।
4. ब्याज सब्सिडी – हथकरघा क्षेत्र को 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना । अधिकतम ब्याज छूट 7 प्रतिशत होगी ।

6. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

परिचय –

पीएमईजीपी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों , राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और कॉयर बोर्ड, जिन्हें कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

पीएमईजीपी के लाभ

1. गैर–कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषित सब्सिडी कार्यक्रम।

2. विनिर्माण में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक है।
3. अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति ध्महिला ध्पीएचध्अल्पसंख्यकध्भूतपूर्व सैनिकध्एनईआर जैसी विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है।

पात्र आवेदक–

1. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्तिपात्र है
2. पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी
3. विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के लिए किसी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है
4. विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यापारध्सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजना की स्थापना के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
   - अ. स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं उठाया है),
   - आ. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान,
   - इ. उत्पादन सहकारी समितियां, और,
   - ई. चौरिटेबल ट्रस्ट भी पीएमईजीपी के तहत सहायता के पात्र हैं।
5. मौजूदा इकाइयाँ (च्डल्ल, त्म्ळच या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और वे इकाइयाँ जो पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं, पात्र नहीं हैं

अतिरिक्त जानकारी –

1. नए स्वरोजगार उपक्रमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना ।
2. व्यापक रूप से फैले हुए पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें उनके निवास स्थान के आस–पास यथा संभव स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना ।
3. देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों और ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को निरंतर और स्थायी रोजगार प्रदान करना, जिससे ग्रामीण युवा ओं के शहरी क्षेत्रों में प्रवास को रोकने में मदद मिल सके।
4. कारीगरों की मजदूरी –अर्जन क्षमता में वृद्धि करना और ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर बढ़ाने में योगदान देना ।